विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-15 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
15. (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सभी स्तर के विद्यालयों में पढने वाले छात्र-छात्राओं को समान सुविधाएं प्रदत्त है?	जी हां।
(ख) यदि हॉ, तो वह सुविधाएं कौन-कौन सी हैं ?	निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक, निःशुल्क यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी क्रय हेतु धनराशि (डी0बी0टी0 के माध्यम से), मध्यान्ह भोजन तथा 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अंतर्गत निर्धारित पैरामीटर्स में प्रदत्त सुविधायें।
(ग) आर0टी0ई0 के अन्तर्गत निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को उक्त सुविधाएं क्यों प्रदत्त नहीं की गई हैं ?	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के भाग तीन के 5-(1) के अनुसार "अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (एक) में सन्दर्भित राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (दो) में सन्दर्भित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक और अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में सन्दर्भित किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक प्रत्येक वर्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और प्रत्येक वर्ष में एक बार वर्दी के लिए हकदार होगा, का प्रावधान है।" निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की धारा-8 (क) के परन्तुक में स्पष्ट प्राविधान है कि यदि कोई अभिभावक उपर्युक्त वर्णित विद्यालयों से भिन्न किसी विद्यालय में अपने पाल्य का प्रवेश कराएगा तो वह शुल्क प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा अर्थात उसे शिक्षा पर उपगत होने वाला व्यय स्वयं वहन करना पड़ेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार-2009 के अन्तर्गत गैर सहायतित विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों को उक्त सुविधाओं हेतु उनके अभिभावकों के खाते में धनराशि रू० 5000/- प्रति वर्ष डी0बी0टी0 के माध्यम से वित्तीय सहायता अंतरित की जाती है तथा विद्यालयों में अध्ययनरत अन्य बच्चों को उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं है।
(घ) क्या उक्त की उच्च स्तरीय जॉच कराकर जॉच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।

संदीप सिंह
राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)।